Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

1. मोहनलाल 2. रामचन्द्र 3. रामरख पुत्रगण रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी उपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर बनाम रामेश्वरलाल वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 42/2025 U/S 212 RTA & 151CPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.03.2025	आज यह प्रार्थना पत्र मोहनलाल वगै. ने जरिये श्री मोहनलाल सोनी अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 517 तादादी 4.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 218 तादादी 6.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 217 तादादी 0.01 हैक्टेयर वाकेरोही उपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 05.05.2025 को आकर पेश करें होकर तारीख पेशी दिनांक 05.05.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 05.05.2025 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
25.3.2015	आज यह पत्रावली वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर मूल वाद विड्रो किये जाने बाबत पेश की गई वादीगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रा. पत्र [illegible] पेश किया गया है, लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] लिया जाकर पत्रावली वाद तकमील [illegible] होकर दाखिल दफ्तर [illegible] उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	[illegible] रामचन्द्र [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested